



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या:-888-अप्र०-04/पाकालि/2020-1-जी.ई.(6)/80

दिनांक : 23, मई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

चयन वर्ष 2020-21 (अवधि 01.07.2020 से 30.06.2021 तक) के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन लि० में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि को उन्हें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन कारपोरेशन की सेवाओं से सहर्ष सेवानिवृत्त की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

(वैद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग)

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम एवं अभिज्ञान संख्या (सर्वश्री)	पिता/पति का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	चयन का माध्यम/अवर अभियन्ता काल का वरि०क्र०
1	2	3	4	5	6
1.	मुन्नी लाल (2017197)	मोहन लाल	02.09.1960	30.09.2020	40% द्वारा प्रोन्नत/8224925045
2.	मनोज कुमार चित्रांशी (2012249)	स्व० एस.के. चित्रांशी	14.11.1960	30.11.2020	40% द्वारा प्रोन्नत/8235
3.	राम औतार राम (2017057)	मोती चन्द्र राम	01.01.1961	31.12.2020	40% द्वारा प्रोन्नत/8066925002
4.	रविन्द्र कुमार (2016110)	बलकरन सिंह	07.01.1961	31.01.2021	40% द्वारा प्रोन्नत/8873
5.	रास बिहारी पाल (2015043)	अवध बिहारी पाल	23.04.1961	30.04.2021	40% द्वारा प्रोन्नत/8710
6.	अनभुल प्रसाद (2010256)	स्व० झीरू प्रसाद	01.07.1961	30.06.2021	40% द्वारा प्रोन्नत/6999
7.	संजय कुमार (2012099)	श्रीकृष्णा	25.06.1961	30.06.2021	40% द्वारा प्रोन्नत/7758
8.	श्रीमती आशु अग्रवाल (2012111)	पत्नी श्री गौरव अग्रवाल	12.06.1961	30.06.2021	40% द्वारा प्रोन्नत/8051
9.	राजेश कुमार गिरी (89098)	सत्य देव गिरी	01.07.1961	30.06.2021	सीधी भर्ती
10.	विजय कुमार (2017190)	ब्रह्म प्रकाश	21.03.1961	31.03.2021	40% द्वारा प्रोन्नत/9030

(जानपद संवर्ग)

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम एवं अभिज्ञान संख्या (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	चयन का माध्यम/अवर अभियन्ता काल का वरि०क्र०
1	2	3	4	5	6
1.	प्रदीप कुमार (201515)	लक्ष्मी नारायण गुप्ता	19.10.1960	31.10.2020	40% द्वारा प्रोन्नत/408
2.	वलीउद्दीन खॉं (201703)	अल्लाह बक्श	15.10.1960	31.10.2020	40% द्वारा प्रोन्नत/442

चयन वर्ष 2020-21 में श्री आदित्य कुमार चन्द्रशेखर (अभिज्ञान सं०-86020), सहायक अभियन्ता एवं श्री शैलेश कुमार जैन (अभिज्ञान सं०-88127), सहायक अभियन्ता, दिनांक 31.10.2020 को कारपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परन्तु उपरोक्त दोनों ही सहायक अभियन्ताओं के दीर्घ अवधि से कार्यस्थल से अनुपस्थित होने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतएव अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया निस्तारित/निर्णीत होने के उपरान्त ही, इनके सेवा में बने रहने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

[Signature]

क्रमशः.....

चयन वर्ष 2020-21 की सेवानिवृत्त सूची निम्न प्रतिबन्धों के साथ जारी की जाती है:-

1. अगर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के सम्बन्ध में उपरोक्त सेवानिवृत्त आदेश उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने की स्थिति में ही प्रभावी होंगे।
2. उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित एवं प्रशासनिक कारणों से उक्त तिथि से पूर्व कभी भी सेवानिवृत्ति किया जा सकता है।
3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्त तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है अथवा किसी अधिकारी का नाम उपरोक्त सूची में उल्लिखित नहीं है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की विधिक जिम्मेदारी होगी।
4. सेवानिवृत्त होने वाले सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व अपने निवास के पते के सूचना कारपोरेशन मुख्यालय को अवश्य दे दें, ताकि सेवानिवृत्ति पेंशन आदि देयों के सम्बन्ध में वांछित स्थान पर पत्र व्यवहार किया जाना सम्भव हो सके।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या :-888-अ०प्र०-04/पाकालि/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित :-

(क) सूची में उल्लिखित सेवानिवृत्त होने वाले अभियन्ताओं के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि यदि प्रचलित हो, तो त्वरित कार्यवाही कर उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व यथा समय पूर्ण/निर्णीत कराना सुनिश्चित करें।

(ख) यदि उपरोक्त अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुयी है, किन्तु अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है, तो अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व उसे निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि अभियन्ताओं के विरुद्ध विविध आशिम प्रकीर्ण से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित हो तो उसे भी यथा समय निस्तारित कराना सुनिश्चित करें, जिससे कारपोरेशन को कोई वित्तीय हानि न हो।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केरको, कानपुर।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केरको, कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (वितरण) लखनऊ क्षेत्र/बरेली क्षेत्र/फैजाबाद क्षेत्र/लेसा/देदीपाटन क्षेत्र/ वाराणसी क्षेत्र/प्रयागराज क्षेत्र/बस्ती/गोरखपुर क्षेत्र/आजमगढ़/मुसादाबाद क्षेत्र/सहारनपुर क्षेत्र/मेरठ क्षेत्र/गालियाबाद क्षेत्र/आगरा क्षेत्र/कानपुर क्षेत्र/अलीगढ़ क्षेत्र/झांसी क्षेत्र/बांदा क्षेत्र।
7. मुख्य अभियन्ता (पारिषण-मध्य), लखनऊ/(पारिषण-उत्तर-पूर्व), गोरखपुर/(पारिषण-दक्षिण-पूर्व), इलाहाबाद/(पारिषण-दक्षिण-मध्य), झांसी/(पारिषण-दक्षिण-पश्चिम), आगरा/(पारिषण-पश्चिम), मेरठ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
8. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप सचिव/अनु सचिव (०5ए/०5बी/०5सी/०5डी/०5ई/०5एफ), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप सचिव (पारिषण), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हिमांशु बाबूय)

उप सचिव (अ०प्र०-04)

प्रमाणित.....

संख्या :-888-अ०प्र०-04/पाकालि/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अपर सचिव (द्वितीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा/जीपीएफ/पेंशन/बी०एस०ए०), उ०प्र०पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप सचिव/अनु सचिव (गोपन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।
8. वैयक्तिक पत्रावली।

नोट : सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्थायी निवास स्थान का पूरा पता, नाम, मकान नं०, मोबाईल नं०, हाई स्कूल प्रमाण-पत्र एवं सेवानिवृत्ति पर कार्यमुक्ति प्रमाणक आदि की सत्यापित छायाप्रति कारपोरेशन मुख्यालय स्थित कार्यालय उपसचिव (04) को पत्राचार अथवा ई-मेल ds0304uppc@gmail.com के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,



(हिमांशु वाष्ठीय)

उप सचिव (अ०प्र०-04)

का० ५०